

# फर्द अहकाम

न्यायालय

श्रीमती जल्ल देवी बनाम गोकुल-चन्द

मुकदमा संख्या / वर्ष 102/21

/ 20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
15/4/24		<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत अपीलार्थी उनके अधिवक्ता को बर-वाट आगजना गई। अपीलार्थी व उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, अपीलार्थी का जमाना अफस धरती अफस पक्षी में वारिष्ठ किया जाता है। पत्रावली फलतः शुभानुष्ठान के लिए नष्ट है, बाद तकमीना दाखिल है।</p>

सपखण्ड अधिकारी  
सांगानेर, जयपुर (राज्य)